

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 3005/12-1 गोपेश्वर,

दिनांक

08-02 2018

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0,
कर्णप्रयाग।

विषय:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजन के अन्तर्गत बी0एम0बी0 (बूगीधार मेहलचौरी बछवावाण) मोटर मार्ग के किमी0 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.73 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन।
संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/40/2016/एफ0सी0/1737 दिनांक 21.01.2018

महोदय,
भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के उपयुक्त संदर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार धनराशि हेतु मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है:-
1 शर्त सं0-01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 5.46 है0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि रू0 13,83,193.00 (रू0 तेरह लाख तिरासी हजार एक सौ तिरानवें) मात्र जमा की जानी है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण (है0)	धनराशि (प्रति है0)	कुल धनराशि (देय धनराशि)
5.46	2,53,332.00	13,83,193.00

2 शर्त सं0-02 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु देय धनराशि रू 17,93,610.00 (रू सत्रह लाख तिरानवें हजार छः सौ दस) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	ईको क्लास घनत्व	धनराशि	है0	देय धनराशि (लाख में) कॉलम
V	0.2 (Open forest)	6,57,000.00	2.73	17,93,610.00

3 शर्त सं0-03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

4 शर्त सं0 04 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 व शर्त 02 में देय धनराशि का हस्तान्तरण ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की जायेगी तथा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

5 शर्त सं0-05 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण एवं उपचार कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारो, Central Verge एवं परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्य पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation करने की वचन वद्धता प्रेषित करनी होगी।

6 State Govt. will uploaded and provide original hard copy of revised Digital map of CA.

7 State Govt. will submit hard copy of FRA certificate, Digital map of CA scheme, CA site suitability and part IV & V, in original

8 मलवा निस्तारण एवं वृक्षारोपण हेतु मांग अलग से प्रेषित की जायेगी।

अतः आप मांग पत्र को ऑनलाईन अपलोड कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून द्वारा सत्यापित होकर चालान जनरेट होने पर शर्त 01 व शर्त 02 की देय धनराशि उक्त चालान के माध्यम से जमा करते हुए तथा अन्य शर्तों के अनुपालन की वचनवद्धता से सम्बन्धित अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑन-लाईन अपलोड करने का कष्ट करे। ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जा सकें।

भवदीय,



उप वन संरक्षक,

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर,